बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांकः– 28.7.2020

संख्या–जी0 / बी0डी0–08–20 (आवास नियमावली)–24 / 2019 4420 (भ0) / भारत संविधान के अनुच्छेद 309 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल आवास आवंटन (पटना केन्द्रीय पूल) नियमावली–1986 में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैंः–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ :– (i) यह नियमावली ''आवास आवंटन (पटना केन्द्रीय पूल) (संशोधन) नियमावली–2020'' कही जा सकेगी।

(ii) इस नियमावली का प्रभाव पटना स्थित केन्द्रीय पुल के सभी सरकारी आवासों, होस्टल, कक्षों एवं अन्य स्थानों पर स्थित सरकारी आवासों के लिए लागू होगा जिनके बारे में सरकार समय–समय पर अधिसूचना निर्गत करेगी।

(iii) यह अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रभावी होगी।

2. आवास आवंटन (पटना केन्द्रीय पूल) नियमावली 1986 की कंडिका–3(ड) को संशोधित करते हुए निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया जायेगाः–

''दंड किराया अथवा बाजार–सह–दंड किराया का अर्थ है बाजार दर किराये का छः गुना किराया''

3. आवास आवंटन (पटना केन्द्रीय पूल) नियमावली–1986 की कंडिका–10(1) को संशोधित करते हुए निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया जायेगाः–

''आवंटन आदेश निर्गत होने के 30 दिनों के अंदर आवंटी द्वारा भू–सम्पदा पदाधिकारी को यह सूचित कर देना होगा कि उन्हें आवंटन स्वीकार है या नहीं।''

शेष बातें यथावत रहेंगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

28.7.2020

(चंचल कुमार)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांकः– 4420 (भ0) पटना, दिनांक– 28.7.2020

प्रतिलिपिः– प्रभारी ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को उक्त अधिसूचना की दो प्रतियाँ (सी0डी0 सहित) बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

28.7.2020

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांकः– 4420 (भ0) पटना, दिनांक– 28.7.2020

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (ले0 एवं ह0) का कार्यालय, बिहार, पटना / महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना / मुख्य सचिव, बिहार के आप्त सचिव / अध्यक्ष, राजस्व पर्षद, बिहार / विकास आयुक्त / माननीय मंत्री के आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग / सभी विभागाध्यक्ष, बिहार / मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग / सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग / सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग / सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति / सचिव, बिहार विधान सभा / बिहार विधान परिषद् / जिलाधिकारी, पटना / अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग / सभी मुख्य अभियंता / मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी / आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28.7.2020

सरकार के प्रधान सचिव।